/34854/2022

संख्याः 566/XXXI(15)G/22-85(सू0अ0)/2012

प्रेषक,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग **देहरादूनः** **दिनांक 12 मई, 2022**

विषयः—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अधीन लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या—8338 दिनांक 11.03.2022 द्वारा संज्ञानित कराया गया है कि प्रदेश में अधिकांश विभागों में मीनिस्ट्रीरियल/अराजपत्रित अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है, जो सुनवाई के समय मा0 आयोग को संतोषजनक उत्तर न दे पाने के कारण लोक सूचना अधिकारी के पद पर राजपत्रित अधिकारी को ही नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—828/xxxi(15)G/17—85 (सू0अ0)/2012 दिनांक 14 सितम्बर, 2017 एंव शासनादेश संख्या—103/xxxi(15) G/18—85 (सू0अ0)/2012 दिनांक 23 जनवरी, 2018 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के अनुसार ही अपने—अपने नियंत्रणाधीन विभागों में लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाय।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,
Signed by Vinod Kumar Suman
Date: 12-05-2022 18:32:29
(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

संख्याः /XXXI(15)G/22-85(सू0अ0)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
2. गार्ड फाईल।

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)